

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊम सिंह नगर।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: 8368

/नियुक्ति 72(एस0सी0)-2020/2021-22 दिनांक 30-12-2021

विषय: पत्रांक-6504/नियुक्ति 72(एस0सी0)-2020/2021-22 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सहायक
अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति आदेश वेबसाईट पर अपलोड किये
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: प्रा0शि0-दो (2)/419-2019/9950-53/2020-21 दिनांक
09.11.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विज्ञप्ति दिनांक 04.12.2020 एवं यथासंशोधित
विज्ञप्ति दिनांक 30.12.2020 के द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा
नियमावली-2012 यथासंशोधित" में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद ऊम सिंह नगर में इस कार्यालय
के सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष (मेरिट सूची के अनुसार) चयनित 06
अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग में उपस्थित हुए अर्ह 02 अभ्यर्थियों को जनपद के रा0प्रा0विद्यालयों में
सहा0अध्या0 प्राथमिक के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की गयी। नियुक्ति आदेश
विभागीय वेबसाईट www.https://schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु पत्र के
साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि उक्त नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड
करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक:- उक्तवत्।

भवदीय

Ash
30/12/2021
(ए0के0सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊम सिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर।

आदेश सं०- 580

/प्रा०शि०/नियुक्ति-72/2020/2021-22

दिनांक- 30 दिसम्बर, 2021

:नियुक्ति आदेश:

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, शासनादेश सं० 195/ XXIV(1)/ 2012/16/2016 दिनांक 28.08.2012, उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1148/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन), उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) शासनादेश संख्या-558/XXVI(1)/2019-06/2016 दिनांक 29.07.2019 के निहित प्राविधानों के अधीन एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/419-2019/9950-53/2020-21 दिनांक 09.11.2020 के क्रम में जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (अनुसूचित जाति) वेतनक्रम 35400-112400 लेवल-06 के पदों पर नियुक्ति हेतु इस कार्यालय के विज्ञापन पत्रांक-7244-46 दिनांक 04.12.2020 तथा संशोधित विज्ञापन पत्रांक-8206-08 दिनांक 30.12.2020 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/ 2021-22 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनापरान्त उनके नाम के सम्मुख **स्तम्भ 6** में अंकित रा०प्रा०वि० विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	आवंटित/पदस्थपित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रामानन्द कुमार	आनन्द राम	25/1/1994	केयर ऑफ मिस ज्योति, #- 2 टाइप- 5 केन्द्रीय विद्यालय न०-1 चन्डी मन्दिर केन्ट, पन्चकुला (हरियाणा)	रा०प्रा०वि०, कुआँखेड़ा वि०ख०- गदरपुर
2	रणजीत सिंह	रन्द लाल सिंह	25/05/1989	ग्रा०- सन्यासियोंवाला पो० व तह०- जसपुर जिला- ऊधम सिंह नगर	रा०प्रा०वि०, नकहा वि०ख०- सितारगंज

यह कि नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। शासनादेश सं० 1383/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 14 जनवरी, 2021 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक प्रा०शि०-दो (02)/419-2020/1326/2020-21 दिनांक 21-01-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना सुगम क्षेत्र में नियमानुसार प्रदान की गयी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अर्थात् एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

ह०/-
(ए०के०सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर

पृ०सं०/ 8369-77 /प्रा०शि०/नियुक्ति-72/2020/2021-22 दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार कर लें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित बोर्ड/संस्था को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।

8. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दो प्रतियों में निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
- (क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- (ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो।
- (ग)समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
- (घ)विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- (ङ.) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- (च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
9. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

24/3/2021
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
ऊधम सिंह नगर
SL